

पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र' को परभाषित करने हेतु परीक्षण आवश्यक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

जज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया रुख से पता चलता है कठिपासना स्थल अधिनियम, 1991 “किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र” को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुख्य बट्टि:

- पूजा स्थल अधिनियम, 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है।
 - यह किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था।
- जज्ञानवापी मामला वाराणसी के जज्ञानवापी परसिर के स्वामतिव और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है, जिसमें एक मस्जिद तथा एक मंदिर दोनों हैं।
- हट्टिवादी का तर्क है कि मस्जिद स्थल सहति पूरा कषेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पति एक मंदिर था।
- उनका दावा है कि जज्ञानवापी भूखंड पर स्थति इस मंदिर को वर्ष 1669 में सम्राट औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था।
- न तो सरकार और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख अपनाया है।